मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3473
11.08.2025 को उत्तर के लिए

पर्यावरण-अनुकूल नवाचारों के लिए निधि

3473. श्री छोटेलाल :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कई उद्योग और स्टार्ट-अप पर्यावरण-अनुकूल नवाचार करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें वित्तीय सहायता और तकनीकी संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ रहा है; और
(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा पर्यावरण-अनुकूल नवाचारों और हरित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) और (ख) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 26 सितंबर 2024 को इको-मार्क नियम, 2024 अधिसूचित किए हैं, जिसके द्वारा इको-मार्क नियमों के संस्थागत कार्यढांचे और क्रियान्वयन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से इको-मार्क स्कीम, 1991 को प्रतिस्थापित किया गया है।

इन नियमों का उद्देश्य पर्यावरण-अनुकूल उत्पादों की मांग को प्रोत्साहित करना तथा ऊर्जा की कम खपत, संसाधन दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। इन नियमों के तहत सटीक लेबलिंग सुनिश्चित करने और हरित उत्पादों पर भ्रामक सूचना को रोकने का प्रयास किया गया है।

इकोमार्क को मिशन 'लाइफ के अनुरूप किया गया है, जिससे व्यक्तियों को पर्यावरणीय जानकारी मिलती है और वे खरीदारी के विकल्प चुनने में सतर्कता अपनाते है, पुनर्चक्रण एवं पर्यावरणीय अनुकूल उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा मिलता है, विनिर्माताओं को हरित उद्योग प्रि याओं के अंगीकरण के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, और इस प्रकार संधारणीय जीवनयापन में योगदान मिलता है।

इकोमार्क नियम स्वैच्छिक प्रकृति के हैं और इनका उद्देश्य पर्यावरण अनुकूल उत्पादों के उत्पादन के लिए निर्माताओं को प्रोत्साहित करना तथा हरित उद्योगों को बढ़ावा देना है।

उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने देश में नवाचार एवं स्टार्टअप को संपोषित करने और स्टार्टअप पारि-प्रणाली में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु एक सुदृढ़ पारिप्रणाली का निर्माण करने के उद्देश्य से दिनांक 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल शुरु की।

स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत, सरकार विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों में स्टार्टअप पारिप्रणाली के विकास और वृद्धि के लिए निरंतर रूप से विभिन्न प्रयास करती है। प्रमुख स्कीमों नामत: 'फंड ऑफ फंड्स फोर स्टार्टअप्स (एफएफएस)', स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) और 'क्रेडिट गारंटी स्कीम फोर स्टार्टअप्स (सीजीएसएस)' के तहत स्टार्टअप्स को उनके व्यवसाय चक्र के विभिन्न चरणों में सहायता प्रदान की जाती है। सरकार, राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग, राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार और नवाचार सप्ताह सहित आवधिक समारोह और कार्यक्रम भी क्रियान्वित करती है, जो स्टार्टअप पारिप्रणाली के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार स्टार्टअप महाकुंभ के रूप में पारिप्रणाली आधारित पहलों के लिए प्रोत्साहन और सहायता प्रदान करती है, जो हितधारकों के लिए अपने नेटवर्क को बढ़ाने और सहयोग करने के लिए एक प्रगतिशील मंच के रूप में कार्य करती हैं तथा बाजार सुविधाओं में सुधार करने और स्टार्टअप्स को अपने व्यवसायों में वृद्धि करने और उसे बढ़ाने के लिए सरकारी खरीद सहायता को सुगम करने की पहल भी की गई है।

स्टार्टअप इंडिया पोर्टल और भास्कर जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संसाधनों तक आसान पहुंच और स्टार्टअप पारि-प्रणाली में सहयोग को सुगम बनाया गया है। इन उपायों को विनियामक सुधारों और अन्य पारिप्रणाली विकास संबंधी समारोहों और कार्यक्रमों द्वारा संपूरित किया जाता है।

दिनांक 31 जनवरी, 2025 तक की स्थिति के अनुसार स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत सरकार के निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप, विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों में डीपीआईआईटी द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप संस्थाओं की संख्या बढ़कर 1,61,150 हो गई है। विशेष रूप से, दिनांक 31 जनवरी 2025 तक की स्थिति के अनुसार "हरित प्रौद्योगिकी" उद्योग में 3,362 संस्थाओं को स्टार्टअप के रूप में मान्यता दी गई है।

*****